डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक), चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास ***श्री भागीरथ राम*** II, ***आर.ए.एस.***

अनवान

वादी – 1.जगदीश पुत्र नगाराम, जाति जाट
निवासी शोभाला जेतमाल, तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण – **1.तहसीलदार चौहटन**
2.शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे चौहटन

अधिवक्तागण – वादी वकील – श्री नरेश भादू
प्रतिवादीगण वकील –

वाद बाबत **88 RT Act.**

मुकदमा नं. 05 / 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री नरेश भादू** एड. मिनजानिब मुदाई व .... एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर **मौजा शोभाला जेतमाल, तहसील चौहटन में खसरा सं. 194 / 15 रकबा 67.04 बीघा का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में जुगताराम पुत्र नगाराम के स्थान पर जगदीश पुत्र नगाराम को खातेदार घोषित किया जाता है।** लगातार शेष पृष्ट पर........................... बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

बसगत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 04.04.2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.........................
ओहदा.........................
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा [illegible] [illegible] पर खर्चा [illegible] फी[illegible]श्नर बाबत [illegible] मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे [illegible]री के जरिये दिलावे ....।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.27 17:05:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 05/2018

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम ।।, आर.ए.एस

अनवान

वादी – **1.जगदीश पुत्र नगाराम, जाति जाट**
निवासी शोभाला जेतमाल, तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण – **1.तहसीलदार चौहटन**
2.शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे चौहटन

अधिवक्तागण – वादी वकील – **श्री नरेश भादू**
प्रतिवादीगण वकील –

<u>अन्तर्गत धारा 88 RT Act.</u>

निर्णय

दिनांक :– 04.04.2022

वादी के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा शोभाला जेतमाल तहसील चौहटन में खसरा सं. 194/15 रकबा 67.04 बीघा की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि वादी को उसके पिता नगाराम द्वारा जरिये पंजीबद्ध बक्सीसनामा के बक्सीस की गई। वक्सीस के समय पंजीबद्ध विक्रय पत्र में वादी का नाम जगदीश के स्थान पर घरेलू बोलचाल की भाषा अनुसार जुगताराम अंकित करवा दिया । उक्त बक्सीस के आधार पर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम जुगताराम दर्ज किया गया। जबकि वादी का वास्तविक नाम जगदीश है । वादी के राशनकार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निशक्कता प्रमाण पत्र बैंक डायरी आदि दस्तावेजों में वादी का नाम जगदीश दर्ज है। जुगताराम पुत्र नगाराम नाम का कोई अन्य व्यक्ति ग्राम शोभाला जेतमाल में निवास नहीं करता है।

वादी एवं अन्य सहखातेदारों की भूमि मौजा शोभाला जेतमाल के खसरा सं. 399/3 एवं 401/6 कुल रकबा 103.15 बीघा में वादी का नाम सहखातेदारों के साथ जगदीश पुत्र नगाराम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.27 17:05:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

वादी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने से पूर्व राजस्व रेकर्ड की नकल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ने के कारण वादी को राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज अपने नाम की जानकारी नहीं हो सकी। परन्तु वर्तमान में भूमि पर सरकारी सुविधा लेने हेतु जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की तो वादी को गलत नाम की जानकारी हुई। वादग्रस्त भूमि का वादी का नाम गलत अंकन होने के कारण वादी को अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण एवं सरकारी परिलाभ लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिससे वादी को भारी आर्थिक क्षति हो रही है। इसलिए वादी उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अंकित जुगताराम पुत्र नगाराम के स्थान पर अपने सही नाम जगदीश पुत्र नगाराम की घोषणा करवाने का अधिकारी है, इस हेतु वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए। तहसीलदार चौहटन की ओर से मौका रिपोर्ट पेश की गई। उक्त मौका रिपोर्ट में तहसीलदार चौहटन द्वारा ग्राम शोभाला के ग्रामीणों के बयान एवं मौका फर्द के आधार पर उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम जगदीश पुत्र नगाराम शुद्ध करते हुए दर्ज करने की अनुशंषा की ।

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील को सुना गया । तहसीलदार चौहटन द्वार पेश रिपोर्ट का अवलोकन किया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । जिसके आधार स्पष्ट होता है कि वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायाहित में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर **मौजा शोभाला जेतमाल, तहसील चौहटन में खसरा सं. 194/15 रकबा 67.04 बीघा में दर्ज जुगताराम पुत्र नगाराम के स्थान पर जगदीश पुत्र नगाराम को खातेदार घोषित किया जाता है।**

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.27 17:05:14 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम ।।)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) चौहटन

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन